

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1627 / 2013 / सिरोंही

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत सिरोंही

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स शीतल प्रसाद मुकुन्दीलाल,
आबूरोड़

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री डी.पी.ओझा

उप-राजकीय अभिभाषक

.....राजस्व की ओर से
.....प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 06.11.2018

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 2/आरवैट/सिरोंही/2012-13 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 10.05.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत सिरोंही (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 61 एवं 65 के अन्तर्गत पारित आदेश में सृजित मांग राशि अन्तर कर रूपये 17,515/-, ब्याज रूपये 847/- एवं शास्ति रूपये 35,030/- में से अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त करने के बिन्दु को राजस्व द्वारा विवादित किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त मैसर्स परफेटी वान मिल इंडिया लि० से परफेटी ब्राण्ड की ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी खरीद का क्रय-विक्रय किया जाता है। उसके द्वारा विक्रीत उत्पादों के विक्रय हेतु जारी इन्वॉयस में कैंडी वर्णित कर 4/5 प्रतिशत से कर चुकाया गया है, जबकि व्यवहारी का उत्पाद कन्फैक्शनरी होने के कारण उस पर आलौच्य अवधि में 12.5 प्रतिशत कर चुकाया जाना चाहिये था। सक्षम अधिकारी ने आलोच्य अवधि में प्रत्यर्थी द्वारा विक्रीत माल "ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी" की श्रेणी में आने तथा वैट अनुसूची-चतुर्थ के तहत अधिसूचित नहीं होने एवं वैट अनुसूची-पंचम के तहत सामान्य कर दर से करयोग्य होना मानते हुये, व्यवहारी द्वारा किये गये कृत्य को करापवंचन की श्रेणी में पाया तथा अन्तर कर, ब्याज एवं धारा 61 के अंतर्गत शास्ति का आरोपण किया।

निरन्तर.....2

31

६

3. सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक स्वीकार कर आरोपित अन्तर कर व धारा 55 के तहत आरोपित ब्याज को यथावत रखते हुए धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर राजस्व द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
4. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि घूँक प्रत्यर्थी द्वारा बेचे गये Confectionery items पर कर का भुगतान निर्धारित दर से कम दर किया जाकर कर का परिवर्जन किया गया है, अतः धारा 61 के अंतर्गत आरोपित शास्ति पूर्णतः विधिसम्मत होने से इसे बहाल किया जावे।
5. प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।
6. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।
7. जहां तक शास्ति का प्रश्न है, रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा संधारित लेखा बहियात में सभी संव्यवहारों का इन्द्राज दर्ज है एवं बिक्री विवरण पत्रों में इन संव्यवहारों की घोषणा भी की गई है। प्रश्नगत बिक्री संव्यवहार प्रत्यर्थी की नियमित लेखा बहियात में दर्ज हैं परन्तु कर की दर के सम्बन्ध में मत भिन्नता के कारण विभाग द्वारा प्रकरण बनाया जाकर अन्तर कर व ब्याज आरोपित करने के साथ-साथ इसे करवंचना की श्रेणी में मानते हुए धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण भी किया गया है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Shree Krishna Electricals Vs. State of Tamil Nadu & Another (2009) 11 SCC 687 (SC) के प्रकरण में तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने Reckitt Benckiser India Ltd Vs. ACTO, SB STR No. 7/2012 order dated 07.04.2017 (RHC) तथा वा.क.अ. बनाम दुर्गेश्वरी फूड लि0 (2012) 32 टीयूडी के प्रकरणों में दिये गये निर्णयों में यह निर्णीत किया है कि जहां बिक्री संव्यवहार व्यवहारी की लेखा पुस्तकों में दर्ज है तथा जिन्हें बिक्री विवरण पत्रों में भी घोषित किया गया है परन्तु कर दर के सम्बन्ध में कोई मत भिन्नता हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरणों में शास्ति आरोपित किया जाना उचित नहीं है।
8. उपरोक्त निर्णयों में माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में यह पाये जाने पर कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रश्नगत संव्यवहार उसकी लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट हैं तथा सम्बन्धित बिक्री की घोषणा बिक्री विवरण पत्रों में भी की गई है, अतः केवल कर दर के सम्बन्ध में मत भिन्नता होने के कारण धारा 61





के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं पाये जाने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
10. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य



(मदन लाल मालवीय)
सदस्य